मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ 14/07/2004/10-2 भोपाल दिनांक 28.02.2004

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक,
   मध्य प्रदेश
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी,
   मध्य प्रदेश

विषय :– वन अपराधों का कालातीत होने के पूर्व अनिवार्यतः अभियोजन प्रारंभ करना।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 468 के अनुसार अपराधों के कालातीत होने की अवधि दर्शाई गई है। वन विभाग के अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम, मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 एवं मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत वन अपराध पंजीबद्ध किये जाते हैं जिनमें वन अपराधों के लिए अधिकतम सजा की अवधि भी दर्शाई गई है। उक्त अवधि भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अधिकतम 1 (एक) वर्ष है, मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम, में अधिकतम सजा का प्रावधान 2 (दो) वर्ष है तथा वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत सजा का प्रावधान 3–7(तीन से सात) वर्ष है। तद्नुसार ही उक्त अधिनियमों में पंजीबद्ध अपराधों के कालातीत होने की अवधि भी नीहित है। अतः यह एक अनिवार्यता है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम, 1984 के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों का निराकरण अनिवार्यतः एक वर्ष के भीतर हो जाना चाहिए। इसी प्रकार मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम, के अंतर्गत पजीबद्ध अपराधों का निराकरण दो वर्ष की अवधि के अंदर हो जाना चाहिए एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों का निराकरण 3 वर्ष की सीमा भीतर हो जाना चाहिए।

प्रकरणों का निराकरण प्रशमन अथवा अभियोजन के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रायः यह देखने में आया है कि पंजीबद्ध अपराधों का निराकरण प्रशमन अथवा अभियोजना के माध्यम से निर्धारित समय–सीमा में नहीं किया जाता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि प्रशमन अथवा अभियोजन की कार्यवाही समय सीमा के अंतर्गत हो। यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विशेष प्रकरण में विलंब हो जाता है एवं प्रकरण अभियोजित नहीं हो पाता है तो न्यायालय से विलंब हेतु क्षमा करवाने की कार्यवाही की जाए।

वन अपराध प्रकरणों मे कि गई कार्यवाही का अनुश्रवण वन संरक्षक व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक माह करेंगे तथा ऐसे प्रकरण जो कि किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा समय पर कार्यवाही न करने के कारण कालातीत हो गये है, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित

करेंगे। मध्य प्रदेश वनोपज (व्यापार विनिमय) अधिनियम के अंतर्गत नियमों में प्रशमन की शक्ति केवल वनमण्डलाधिकारी को दी गई है अतः यदि राष्ट्रीयकृत वनोपज से संबंधित प्रकरण एवं अन्य ऐसे वन अपराध प्रकरण जो कि किसी अधिनियम में प्रशमन हेतु वनमण्डलाधिकारी के क्षेत्राधिकार में आते हैं एवं समय पर उनमें प्रशमन या अभियोजन की कार्यवाही नहीं की जाती है तो वनमडलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदार होंगे। एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

23/02/04

सुधीर पंवार

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक एफ 14/07/2004/10-2 भोपाल दिनांक 28.02.2004

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
   कृपाया यह सुनिश्चत करें कि वन अपराधों के प्रकरण की समीक्षा वन संरक्षक स्तर पर निर्धारित समयावधि में हो, इसकी प्रक्रिया पूरे प्रदेश में एक समान रहे एवं आवश्यक हो तो इसके लिए रोस्टर भी निर्धारित करें ।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को सूचनार्थ।

23/02/04

अपर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग